न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/19/2019 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 12.06.2019

उनवान

1. हिम्मत सिंह चारण पिता मुतबन्ना देवी सिंह जाति चारण राजपूत निवासी उन्दायला तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत सिंह पिता अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
2. मुकन्द सिंह पिता अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
3. दयालसिंह पिता अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
4. राजेन्द्र सिंह पिता अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
5. कैलाश सिंह पिता अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
6. श्रीमति आसुकुवंर पत्नी अम्बादान जाति चारण राजपूत निवासी एकलगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 30.7.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:निर्णयः–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उन्दायला मे देवी सिंह पिता शंकरदान चारण निवास करते है जिनकी मौजा उन्दायला में कृषि आराजीयात स्थित है जिसकी खाता संख्या 29 पुराना खाता संख्या भी 29 है जिसके हाल आराजी संख्या 188 रकबा 0.29 है0, आ0स0 189 रकबा 0.41 है0, आ0स0 50 रकबा 0.54 है0, आ0स0 51 रकबा 0.08 है0, आ0स0 53 रकबा 0.27 है0, आ0स0 74 रकबा 0.29 है0, आ0स0 79 रकबा 0.60 है0, आ0स0 80 रकबा 0.03 है0 आ0चा0, आ0स0 81 रकबा 0.21 है0, कुल किता 09 कुल रकबा 2.72 है0 स्थित है। वर्तमान में उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में देवी सिंह के नाम पर दर्ज है। देवी सिंह की बाल्यअवस्था में जब इनकी उम्र 3 वर्ष के आस–पास थी तब इनकी माता नाथबाई का स्वर्गवास हो गया इस कारण देवीसिंह की परवरिश माधु सिंह पिता राघुदान जी चारण निवासी उन्दायला ने की इसके बाद देवीसिंह के पिता शंकरदान का भी स्वर्गवास हो गया उस समय देवी सिंह की उम्र 6–7 वर्ष की थी तथा देवीसिंह के परिवार में कोई भी

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

परिवारजन व भाईजन नही था इस कारण इसकी परवरिश व पालन पोषण माधुसिंह करते रहे है। इसके बाद देवीसिंह के गले में कण्ठमाला की बिमारी हो गई लेकिन उसका कोई इलाज कराने वाला नही था इसलिए हिम्मतसिंह व माधुसिंह ने जगह बजगह ईलाज करवाया तथा काफी खर्चा किया और बिमारी जड से खत्म हो गई। देवीसिंह के नाम पर दर्ज कृषि आराजीयात पर खेतीबाडी का कार्य भी वादी द्वारा कदिमी समय से किया जाता रहा है तथा आज भी विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा व उपयोग वादी का ही है।

देवी सिंह की कोई पत्नी व जाईन्दा औलाद नही होने से गत वर्ष 2018 को आखातीज के दिन गांव के मौतबीर समाज के लोगों को ईक्टठा कर देवीसिंह ने कहा कि क्या पता मेरे प्राण प्रखेरू कभी भी उड जावे और मेरा स्वर्गवास हो जावे इसलिए मै जीते जी मेरे गौदपुत्र के रूप में हिम्मतसिंह को रखना चाहता हुँ और मै अपनी स्वेच्छा से मौतबीर लोगो के सामने मेरा साफा हिम्मत सिंह को बंधवा रहा हूं, इस प्रकार देवीसिंह ने मौतबीर लोगो के मध्य वादी को बिना किसी डर दवाब के स्वस्थ चित हालत में गौदपुत्र बना लिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 6 तक जो कि देवीसिंह के दुर के रिश्तेदार हो सकते है और देवीसिंह के आराजीयात को हड़प करने की नियत से मौजा उन्दायला में देवीसिंह के स्वर्गवास के पश्चात आ धमके और अपनी ओर से देवीसिंह के मृत्युभोज दिनांक 07.05.2019 को करने पर आतुर हुए है इस हेतु मुल्जिमान ने बिना किसी हक व अधिकार के शोक–पत्रिकाएं छपवाकर समाज में वितरण की है और दिनांक 08.05.2019 को जबरन अभियुक्तगण स्व0 देवीसिंह की पगडी अभियुक्त के सर पर बांधने पर आतुर हुए है तथा एलानिया तौर पर कह रहे है कि पगडी बंधने के बाद हम देवीसिंह की जमीन पर जबरन कब्जा करेगें तथा देवीसिंह के मकान पर भी जबरन कब्जा करेंगे तथा प्रतिवादीगणों ने लागो को यह भी कहा कि माधुसिंह व हिम्मतसिंह को जिनके कब्जे में देवीसिंह की कृषि आराजीयात है उनके साथ लडाई झगडा कर मारपीट कर उनके जमीन से बेदखल कर देगें।

अतः प्रार्थी ने उक्त विवादित अराजीयात जो कि प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग मे है, में प्रतिवादीगण उक्त आराजी में किसी प्रकार का दस्तन्दाजी व व्यवधान पैदा नहीं करे, ना स्वंय करे ना अन्य से करावें इस हेतु प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने का आदेश प्रदान करने को निवेदन किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर खातेदार काश्तकार है। देवीसिंह की बाल्यावस्था में माता की मृत्यु होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा जो उनकी बडी बहिन है के द्वारा पालन–पोषण परवरिश की गई। माधुसिंह द्वारा कोई परवरिश नही की गई क्योकि स्वयं माधुसिंह देवीसिंह की उम्र से मात्र 2 वर्ष बडे थे। देवीसिंह की सेवा चाकरी या बिमारी का ईलाज न तो हिम्मतसिंह द्वारा किया गया न ही माधुसिंह द्वारा किया गया प्रार्थी हिम्मतसिंह स्वंय देवीसिंह से करीब 25–30 वर्ष छोटा है कभी भी चाकरी व बिमारी का ईलाज नही कराया सारा ईलाज देवीसिंह की बडी बहिन अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा किया गया। प्रार्थी को देवीसिंह ने न ही कभी कृषि आराजीयात पर

Scanned by CamScanner

कृषि कार्य करने हेतु कब्जा सोपा है और ना ही कभी प्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर काश्त की है, मात्र जबरन कब्जा कर, आराजीयात हडपने हेतु झुठे कथन किये है।

प्रार्थी ने सरासर झुठ बोलते हुये कथन किया की मृतक देवीसिंह का सबन्ध अप्रार्थी 1 से लगायात 6 तक किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है जबकि अप्रार्थी संख्या 6 मृतक देवीसिंह की सहोदर बहिन है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 मृतक देवीसिंह के भांजे है तथा मृतक देवीसिंह का सारा कियाकर्म व सामाजिक कार्यक्रम करने की जिम्मदारी एवं उत्तरदायित्व अप्रार्थीगण का ही था, जिन्होने उसे पुरा किया। प्रार्थी देवीसिंह के परिवार का कोई नजदीक रिश्तेदार ना होकर केवल दूर के समाज का व्यक्ति है जो जबरन देवीसिंह का गोदपुत्र बन देवीसिंह की जायदाद को हडपना चाहता है गोदपुत्र बाबत देवीसिंह द्वारा या देवीसिंह के माता–पिता द्वारा या अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें गोदनाम या वसीयत लिखी हो ऐसा भी नही है, तथा दिनांक 08.05.2019 को समाज के पंचो द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को सर्व सहमति से देवीसिंह की पगडी बंधाई गई। उस समय प्रार्थी या उसके कोई रिश्तेदार मौके पर उपस्थित नही थे देवीसिंह का मकान व अन्य कृषि आराजीयात पूर्व में भी अप्रार्थीगण के पास ही थे और वर्तमान में भी अप्रार्थीगण का ही कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी जबरन खातेदार के विरूद्व बिना किसी अधिकार जबरन गोदपुत्र घोषित होकर अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी को हडपने के लिए कॉलकल्पीत तथ्यों पर आधारित झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थीगण के कब्जे में जो कि देवीसिंह की आराजीयात है पर जबरन कब्जा करने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी व अन्य के विरूद्व पुलिस थाना कपासन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2019 अपराध धारा 143, 447 में दर्ज कराई जो जेर अनुसधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना तथ्यों के आधारित होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी 2074–77 की फोटोप्रति, पेश की गई। जबकि अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन मे जमाबन्दी का फोटो प्रति, सामाजिक पंचो द्वारा लिखा–पढी की फोटोप्रति, मृतक देवीसिंह के शोक पंजिका की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2019 कपासन की फोटोप्रति पेश की ।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रार्थी हिम्मतसिंह, देवीसिंह का गोदपुत्र है तथा देवीसिंह के नाम पर दर्ज कृषि आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को को अस्वीकार करते हुए यह दलील दी कि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे की प्रार्थी हिम्मतसिंह, देवीसिंह का गोदपुत्र प्रथम दृष्ट्रया साबित हो तथा प्रार्थी का वादग्रस्त अराजीयात पर कब्जा साबित हो, और यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में देवीसिंह के नाम पर दर्ज होने का अंकन किया है जबकि वर्तमान में उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की माताजी अप्रार्थी संख्या 6 के नाम पर दर्ज है। अंत में निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थी खातेदार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्को के सबंध में न्यायिक दृष्टयांत 2018(1) RRT 692 Pan Bai Vs. Chandra prakash &Anr. प्रस्तुत किया।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त प्रस्तुत हुए उभयपक्षीय तर्को पर विचार किया गया पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज़ाहिर है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी हिम्मतसिंह, देवीसिंह का प्रथम दृष्टया गोदपुत्र साबित हो। जहां तक कब्जे का प्रश्न है तो इस सबंध में भी प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे की प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कब्जा दर्शित हो। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में आराजीयात अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज है।

अतः उपराक्त विवेचनानुसार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु ही अपने पक्ष में साबित नही कर पाया है। यदि फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर किसी भी दृष्टि से पाबन्द किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को कारित होगी क्योंकि वे अपने स्वामित्व, कब्जे तथा मालिकाना हक की संपति का ही उपयोग उपभोग व अंतरण नही कर पाएंगे।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

परिमाणतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उपरोक्त विवेचन का मूल वाद के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नही समझा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद 45/2019 के साथ सलग्न रहे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Scanned by CamScanner